"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017— फाल्गुन 6, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7. — राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 4 में, उप-नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये.

उक्त संशोधन, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.